

गिरता लिंगानुपात – महिला अस्तित्व पर खतरा (बागपत जिले के विशेष सन्दर्भ में)

योग्यता शाक्य*, विनय कुमार शुक्ल**

गिरता लिंगानुपात – महिला अस्तित्व पर खतरा (बागपत जिले के विशेष सन्दर्भ में)

योग्यता शाक्य *, विनय कुमार शुक्ल **

सारांश

जनसंख्या अध्ययन में किसी देश की जनसंख्या में लिंगानुपात के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लिंगानुपात का अर्थ है किसी जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों का सघटन है। विवाह या सन्तानोत्पादकता के माध्यम से लिंगानुपात अनुपात देश की श्रम शक्ति को प्रभावित करता है।
मूल शब्द : संरक्षक, लंगानुपात, कन्या भूण हत्या।

Reference to this paper
should be made as follows:

योग्यता शाक्य*,
विनय कुमार शुक्ल**

गिरता लिंगानुपात – महिला
अस्तित्व पर खतरा

RJPP 2018,
Vol. 16, No. 2, pp. 16-24
Article No. 3

Online available at :
[http://anubooks.com/
?page_id=2004](http://anubooks.com/?page_id=2004)

लिंगानुपात किसी देश की अर्थव्यवस्था का सूचक होता है और स्थानिक भिन्नता के विश्लेषण में एक उपयोगी उपकरण के रूप में काम करता है।¹

लिंगानुपात का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव विभिन्न जनांकिकीय तथ्यों तथा प्रजनन दर, मृत्यूदर, जनसंख्या परिवर्तन, व्यवसायिक संरचना आदि पर होता है।²

भारत की जनसंख्या संरचना की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ स्त्रियों की तुलना पुरुषों की संख्या अधिक है; अर्थात् भारतीय जनसंख्या पुरुष बहुल है। यह विश्वव्यापी स्थिति के विपरीत है। 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 972 थी तब से निरन्तर लिंगानुपात में गिरावट की प्रवृत्ति जारी है। जिसमें मात्र सन् 1981 और 2001 जनगणना अपवाद है। जनगणना सन् 1941 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष 945 स्त्रियाँ थीं जो सन् 1951 तक 906 रहा। सन् 1961 एवं 1971 में लिंगानुपात क्रम 941 और 930 था। वर्ष 1981 में 4 अंकों की वृद्धि के साथ 934 हो गया किन्तु अगले दशक में इसमें 7 अंकों की कमी होने पर सन् 1991 में 927 पर पहुंच गया।³

लिंगानुपात की समस्या कोई एकदम से पैदा हुई समस्या नहीं है इसके बीज तो नारी की गिरती हुई प्रतिष्ठा के साथ प्राचीन काल में ही पड़ गये थे। प्रकृति ने महिलाओं को उदार व कोमल बनाया जिसके कारण पुरुष ने महिला को संरक्षण दिया परन्तु समय के साथ धीरे—धीरे पुरुष का दिया संरक्षण महिलाओं पर पांबदी बन गया “प्राचीन समय में कन्या का भी बालकों के समान उपनयन संस्कार किया जाता था।”⁴ परन्तु धीरे—धीरे शिक्षा बस कुलीन परिवारों की महिलाओं तक सीमित रह गयी। हम सभी जानते हैं, तब महिला ने स्वम् को परिवार तक सीमित कर लिया तो वह अपनी आवश्यकताओं के लिये पुरुष पर आश्रित हो गयी। पुरुष ने उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण तो किया पर स्त्री की स्वतन्त्रता को छीन लिया और उसे पूर्णतः अपनी शरण में ले लिया। जिसका उल्लेख मनुस्मृति के इस श्लोक में भी किया गया है—

“यत्र नारियस्तु पूजांते, रमांते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूजांते सर्वासत्रेफले किया। पिता रक्षिति कौमार्य भार्ता रक्षिति योवने रक्षिति स्थवरे पुत्रः न स्त्री स्वंतत्र मर्हियाति।।”⁵

उक्त श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री स्वतन्त्र नहीं रह सकती। जब स्त्री स्वतन्त्र न रही तो उसके सभी फैसलों में पुरुष अर्थात् उसके संरक्षक की स्वीकृति अनिर्वाय हो गयी। कन्या को जन्म देने का फैसला भी उसका अकेले का फैसला नहीं रह गया। कन्या के विवाह में जब दहेज का रिवाज बड़ा तो बेटी माता पिता को बोझ लगने लगी। कन्या को जन्म देने वाली माताओं को प्रताणित किया जाने लगा जिससे महिलाओं के मन में कन्या जन्म को लेकर उदासीनता आयी।

सदियों से कन्या भ्रूण हत्या का कार्य समाज में एक मौन स्वीकृति से चला आ रहा है। 1974 में वैज्ञानिक एवं तकनीक विकास ने जनसामान्य के लिए गर्भरक्षण शिशु के लिंग की जांच करना आसान कर दिया। उस समय में सोनोग्राफी की मशीन प्रचलन में आ गयी थी। भारतीय सरकार के द्वारा लिंग परिक्षण का कोई विरोध दर्ज नहीं किया गया गया क्योंकि भारत सरकार को यह जनसंख्या कम करने का एक कारगर उपाय लगा। परिणामतः लिंग का चयन कर लोगों ने

कन्या भ्रूण हत्या कर सामाजिक ताने–बाने को ही विक्षेप कर दिया।

21वीं सदी के इस भारत ने निच्चर कन्या भ्रूण हत्या के प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की। गिरता लिंगानुपात मानव सभ्यता पर वह खतरा है जो मानव जाति को समूल नष्ट कर देगा। मानव विज्ञान और तकनीक के विकास के उपयोग से स्वयम् का ही दुश्मन बन बैठा है। विज्ञान का यह दुरुपयोग आत्मघाती सिद्ध हो रहा है। सन् 1795 बंगाल रेग्यूलेशन एक्ट – 21 के अन्तर्गत शिशु वध को हत्या के समान माना गया था इस कानून के निर्माण के बाद भी षिषु वध होते रहे। 19वीं शताब्दी में भी कुछ कानूनों का निर्माण हुआ परन्तु ये कुप्रथा समाज में चलती रही।

लिंग निर्धारण के तकनीक का प्रयोग सन् 1970 से 1980 के दशक में प्रारम्भ हुआ और यह नारा दिया गया कि “लड़की है तो 500 रुपये खर्च करो और 5 लाख बचाओ”। आज केवल पंजाब में ही 1000 से अधिक संख्या में अल्ट्रासाउण्ड चिकित्सालय मौजूद हैं।^६

अगर सन् 1978 से 1982 के आकड़े देखे तो पता चलता है की सन् 1978 से 1982 के मध्य 78,000 कन्या लिंग को समाप्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में तो सन् 1984 में मुम्बई शहर में अकेले ही 40,000 कन्या भ्रूण को समाप्त करने की पुष्टि हुई थी।^७

सरकारी संगठनों के आकलनों के अनुसार प्रत्येक 1000 महिलाओं में से 260 से 400 तक महिलाएँ गर्भपात करती हैं। सामान्यतया यह माना गया है कि 1 वैध गर्भपात हो सके इसके लिये 10 से 12 अवैध गर्भपात होते हैं। इस बारे में विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1996 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गयी थी जिसके अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 50,000 अवैध गर्भपात होते हैं। इण्डियन मेडिकल ऐसोशिएशन ने भी इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुये कहा है कि वास्तविकता से परे सरकार मानती है कि प्रतिवर्ष केवल 107 कन्या भ्रूण हत्याएँ होती हैं।^८

उद्देश्य

बागपत जिले की वर्ष 2001 व 2011 की जनगणना के 0–6 वर्ष के लिंग अनुपात का अध्ययन तुलनात्मक अध्ययन तथा कन्या भ्रूण हत्या व प्रसवोपरान्त शिशु हत्या से सम्बन्धित विधिक उपवंधों का अध्ययन।

परिकल्पना

बागपत जिले की वर्ष 2001 से वर्ष 2011 की जनगणना में 0–6 लिंग अनुपात के गिरते स्तर में सुधार हुआ है।

अध्ययन की सीमा

प्रस्तुत अध्ययन में केवल बागपत जिले की वर्ष 2001 की व वर्ष 2011 की जनगणना का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन की विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वितीयक समकों पर आधारित विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है।

भारत में कन्या भ्रूण हत्या एक उद्योग की तरह फल– फूल रहा है यदि अध्ययन किया

जाये तो भारत में कन्या भ्रूण हत्या का उद्योग 450 करोड़ के लगभग होगा। प्रतिवर्ष 1करोड़ 2 के आस – पास लाख गर्भपात होते हैं। जिसमें से 67 लाख गर्भपात कन्या भ्रूण की हत्या के लिये कराये जाते हैं।

कन्या भ्रूण हत्या – बागपत जिले के विशेष संदर्भ में

उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ी आबादी बाला राज्य है। बागपत उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला जनसंख्या 9,58,31,831 इस पर पुरुष जनसंख्या 10,44,80,510 है जिसमें 0–6 लिंग बालिका अनुपात 1,46,05,750 है और बालक 1,61,85,581 है। आज 1000 पुरुषों पर 912 महिलायें हैं, परन्तु राज्य में जनसंख्या के हिसाब से आर्थिक व शैक्षिक स्तर उच्च नहीं हो पाया है यहाँ साक्षरता का स्तर 77.28 प्रतिशत है यहाँ स्त्री शिक्षा का स्तर भी गिरा हुआ है स्त्री साक्षरता 51.36 प्रतिशत है। इसलिये यहाँ का समाज बहुत सी रुद्धिवादिताओं से ग्रसित समाज है यहाँ महिलाये पुरुषवादी मानसिकता से पूर्ण रूप से प्रभावित है।

बागपत में 78.89 प्रतिशत जनता गाँव में निवास करती है 21.11 प्रतिशत ही शहरी है। वर्ष 2001 के अनुसार पुरुष बालिग (0–6 आयु) आबादी 110,923 तथा महिला बालिग आबादी 94,331 थी। जो वर्ष 2011 में पुरुष बाल लिंग 105,924 और महिला बाल लिंग 89,055 हो गया है। अगर प्रतिशत में देखे तो पुरुष बाल लिंग 54.325 प्रतिशत तथा महिला बाल लिंग वर्ष 2001 की जनगणना के मुकाबले 0.283 प्रतिशत की लगभग कमी आयी है इस कमी वे साथ महिला बाल लिंग 45.674 प्रतिशत है। महिला बाल लिंग बढ़ने की जगह गिरा है।

भारत में कन्या भ्रूण हत्या एक उद्योग की तरह फल— फूल रहा है यदि अध्ययन कीया जाये तो कन्या भ्रूण हत्या का उद्योग 450 करोण के लगभग होगा। प्रतिवर्ष 1 करोड़ 2 के आस–पास लाख गर्भपात होते हैं। जिसमें से 67 लाख गर्भपात कन्या भ्रूण की हत्या के लिये कराये जाते हैं। महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सफलता दर्ज की है। फिर भी कन्या भ्रूण हत्या में कोई कमी नहीं आई है।

कानूनी प्रावधान—यद्यपि भ्रूण हत्या व बाल हत्या रोकने के अनेक कानूनी उपाय भारत में मोजूद हैं किन्तु निम्न प्रमुख अधिनियम उल्लेखनीय है जो प्रसव उपरान्त शिशु हत्या व प्रसवपूर्व गर्भपात को नियमित करते हैं:-

(1) भारतीय दण्ड संहिता –1860

भारतीय दण्ड संहिता –1860 के अन्तर्गत वह गर्भपात जो किसी स्त्री के जीवन को बचाने के उद्देश्य से कियान्वित नहीं किया जायेगा तो दण्डनीय अपराध माना जाएगा। भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा शिशु का जीवित जन्म लेने से रोकने या जन्म के बाद मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से किया गया कोई कार्य दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।⁹

(2) गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम—1994

यह शिशु के लिंग की जांच और कन्या हत्या का, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर

पूर्ण प्रतिरोध करता है। यह अधिनियम उपबंधित करता है कि अनुवांशिक सलाहकार केन्द्र या अनुवांशिक प्रयोगशाला या विलिनिक प्रसव पूर्व निदान तकनीक का प्रयोग लिंग चयन के लिए नहीं करेगा।¹⁰

किसी भी व्यक्ति, संगठन, आनुवांशिक परामर्श केन्द्र, आनुवांशिक प्रयोगशाला, आनुवांशिक विलिनिक द्वारा प्रसव पूर्व या गर्भस्थ भ्रूण के लिंग के बारे में नहीं बताया जायेगा।

समुचित प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत चिकित्सक के प्रथम बार दोषी सिद्ध होने पर राज्य विकित्सा परिषद् से 5 वर्ष के लिए उसका पंजीकरण रखाई रूप राज्य विकित्सा परिषद् से 5 वर्ष के लिए उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 4(2) के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए प्रसव पूर्व लिंग जाँच या प्रसव पूर्व गर्भपात कराता है तो वह प्रथम अपराध होने पर 3 वर्ष का कारावास या 50,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित होगा।¹¹

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम— 1994 अपराध— अजमानतीय अपराध तथा अक्षमनीय अपराध हैं।¹²

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत गर्भपात संबंधी के विशय में उक्त दाण्डिक प्रावधान के होते हुए भी विभिन्न तकनीक के माध्यम से भ्रूण हत्या विशेषतौर पर लिंग परीक्षण आदि तकनीक के ज़रिये कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ने के कारण एवं संबंध में भारतीय दंड सहिता 1860 मे विशेष प्रावधान न होने से इस हेतु विशिष्ट विधि की आवश्यकता प्रतीत होने पर “सन् 1971 मे गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम” विनिमित किया किया गया।¹³

(3) गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम—1971

यदि अधिनियम के उल्लंघन में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भ समापन किया गया हो अथवा अनुमत स्थान से भिन्न स्थान में गर्भ समापन किया गया हो तो उसे 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के कठोर कारावास से दण्डित किया जा सकता है। जानबूझकर उल्लंघन किये जाने पर एक हजार रुपये के जुर्माने किया जा सकता है।

अंतर्गत अनुवांशिक परामर्श केन्द्र, प्रयोगशाला, वलीनिक आदि द्वारा अल्ट्रासाउण्ड मशीन अथवा गर्भधारण पूर्व लिंग चयन संबंधी विज्ञापन किये जाने पर 3 वर्ष तक के कारावास एवं 10,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा –23 के अन्तर्गत प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष तक के कारावास एवं 50,000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। पंजीकृत चिकित्सक के दोष सिद्धि पर 5 वर्ष तक का पंजीकरण निलम्बन किया जायेगा।

किसी व्यक्ति द्वारा गर्भास्य शिशु के अनुवांशिक विकारों के अतिरिक्त यदि किसी लिंग चयन, प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीक के प्रयोग में सहायता प्रदान की जाती हैं तो प्रथम अपराध मे 3 वर्ष एवं द्वितीय अपराध मे 5 वर्ष तक के कारावास तथा 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। अन्य दांडिक प्रावधान धारा— 24 व धारा — 26 के अन्तर्गत हैं।

उल्लेखनीय हैं कि दंडित प्रावधान उस महिला पर लागू नहीं होंगे, जिसे लिंग चयन के लिये मजबूर किया गया हो।¹⁴

न्यायपालिका की भूमिका

भारतीय न्यायपालिका ने भी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिये कठोर दिशा— निर्देश जारी किये हैं। उच्चतम न्यायपालिका ने कहा कि राज्य सरकार सक्रिय होकर अल्ट्रासाउण्ड मशीनों के पंजीकरण का कार्य करे। न्यायालय ने इस बारे में असफल रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पद से तुरन्त हटा देने की सिफारिश की है। मुख्य उच्च न्यायालय ने एक वाद में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी के विरुद्ध कन्या भ्रूण हत्या के कार्य प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हो तो ऐसे कार्य करने वाले डायनोस्ट्रिक सेंटर की अनुज्ञाप्ति रद्द की जानी चाहिए।

हरियाणा के फरीदावाद जिला न्यायालय ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के सराहनीय कार्य किये हैं। जिला न्यायालय ने एक चिकित्सक तथा उसके सहयोगी के दोषी साबित हो जाने पर 2 वर्ष का कारावास तथा 5,000 रुपये के जुर्माने की राशि से दण्डित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

विभिन्न कानूनों के बावजूद भी छोटे-बड़े शहरों, गाँव में अमानवीय स्तर पर फलफूल रहा है। अतः भारत में शिशु लिंगानुपात और महिलाओं की स्थिति संतोषजनक भी नहीं हो पाई है।¹⁵

कन्या भ्रूण हत्या के मुख्य कारण

समाज की पितृसत्तातक सामाजिक सोच, सांस्कृतिक विचारधारा, समाज के नियम व मानसिकता सभी मिलकर व्यवहार में भेद कायम करते हैं। 21वीं सदी के भारत में ऐसा माना जा रहा है कि स्त्रियों के प्रति रुढ़िवादी परम्परागत विचारधारा बदली है। परन्तु अगर इसका व्यवहारिक पक्ष देखे तो अब भी स्त्रीयों संवेदनाहीन व्यवहार जारी है।

भारत में कन्या भ्रूण हत्या प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

- 1.पितृसत्तात्मक समाज तथा लिंग के आधार पर भेद
- 2.महिलाओं में प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा आर्थिक निर्भर महिलाओं का कम प्रतिशत
- 3.अशिक्षा, रुढ़िवादी सोच इंजिन—सम्मान के नाम पर हत्याएं।
- 4.महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार, यौन शोषण, यौन अपराध, बलात्कार
- 5.विवाह में बढ़ते दहेज के रिवाज की समस्या
- 6.सस्ती तकनीक व लिंग परिक्षण तकनीक की सुलभता
- 7.चिकित्सकों का व्यवसायीकरण

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के सुझाव

कानून को व्यवहारिक रूपमें कियान्वित करते हुए निम्न उपायों द्वारा समाज के मानसिकता में सुधार किया जा सकता है:—

1. समाज के लिए महिलाये महत्वपूर्ण है। परन्तु कन्या भ्रण हत्या जैसी समस्या से महिला अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। समाज में इस समस्या के प्रति जन जागृति के लिए नुक्कड़ नाटक, परिचर्चा, प्रदर्शनी, कार्यशाला, सेमीनार आदि का आयोजन करना होगा।
2. समाजिक व्यवस्था में व्याप्त भेद-भाव के समाप्त करने के लिये महिलाओं की समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति को सुदृढ़ करना होगा।
- 3 उनमें व्यवसायिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना होगा।
4. महिला शौर्य गाथाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा जिससे महिलाओं में आत्मगौरव की भावना विकसित हो और पुरुष समाज के मन में भी उनके प्रति भोग के भाव की जगह सम्मान का भाव जाग्रत हो।
5. दहेजप्रथा तथा बाल विवाह को समाप्त कर सामूहिक विवाह का आयोजन।
6. चिकित्सकों को अपनी व्यवसायी मानसिकता से उपर उठ कर कार्य करने हेतु प्रेरित करना।
7. लिंग आधारित गर्भपात के अधिकार को गर्भपात के अधिकार से अलग रखना।
8. दहेज विरोधी विचारधारा कायम करनी होगी।
9. माता पिता को पुत्र के समान पुत्री को भी सम्पत्ति में उत्तराधिकारी बनाना होगा।
10. कन्या के लिए अनिवार्य शिक्षा, छात्रावास, भोजन आदि की व्यवस्था मुफ्त की जानी चाहिये।
11. महिला शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के प्रयास केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा किये जाने चाहिये।
- 12 भ्रूण परीक्षण कर कन्या-हत्या करने वाले डॉक्टरों व स्वास्थ कर्मियों व इस प्रणाली से जुड़े लोगों के बीच साठ गाठ के खिलाफ सख्त कार्यवाही के प्रावधन व आवश्यक हो, इसे मानव हत्या की श्रेणी में रखकर सजा के समोचित प्रावधान किये जाये।

निष्कर्ष

गिरते लिंग अनुपात को बढ़ाने के सरकार सारे प्रयास असफल हुये हैं बागपत जिले का लिंग अनुपात बढ़ने के बजाये 0.283 प्रतिशत गिरा है, जिसके परिणामस्वरूप समाज में वेश्यागमन, व्यभिचार, बलात्कार, समलैंगिकता आदि समस्यायें आयेगी। मनुष्य का सामाजिक व नैतिक पतन हो जायेगा तथा समाज सिफलिस, गनोरिया, एड्स आदि रोग समाज में तेजी से फैलेंगे। बाल – विवाह का प्रचलन बढ़ेगा जो आने वाले 20 वर्ष में एक अकाटय समस्या का रूप ले लेगा उस समय महिला सुरक्षा करपाना सरकार व परिवार दोनों के लिए कठिन हो जायेगा महिलाओं के प्रति अपराध और अधिक होने लगेंगे। निःसन्देह घटता लिंगानुपात गंभीर चिंतन का विषय है। समस्या की जटिलता भयावहता इसके परिणाम न सिफ सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक ताने-बाने के छिन्न-भिन्न करने वाली बल्कि राष्ट्रीय सोच व शर्म का विषय है। आवश्यकता है कि समस्या निवारण हेतु बहु स्तरीय व पृष्ठभूमि विशेष आधारित कदम उठाये जाये तथा गैर-समझौतावादी प्रतिबद्धता के साथ प्रयास किये जाये।

समाज को सोचना चाहिए आखिर कब तक हम बेटों की चाहत में बेटों को जन्म देने वाली बेटी को कल्प करते रहेंगे अगर अब भी समाज नहीं सुधरा तो पहले महिला का अस्तित्व फिर स्वतः ही सम्पूर्ण मानव जाती का अन्त हो जायेगा।

संन्दर्भ

पी० सिंह ,समाजशास्त्र अवधाराएँ एवं सिद्धान्त 2013 तृतीय संस्करण जे० पी० पृ 553।

पी० सिंह ,समाजशास्त्र अवधाराएँ एवं सिद्धान्त 2013 तृतीय संस्करण जे० पी० पृ 553।

पी० सिंह ,समाजशास्त्र अवधाराएँ एवं सिद्धान्त 2013 तृतीय संस्करण जे० पी० पृ 554।

डी० के० शरण, नारी सशक्तिकरण का इतिहास, क्लासिकल पब्लिषिंग कम्पनी नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2012, पृ 21।

श्रीमती सुधारानी श्रीवास्तव, श्रीमती आशा श्रीवास्तव, महिला शोषण और मानविकार, अर्जुन पब्लिषिंग हाउस, प्रथम संस्करण, 2004, पृ 6।

पुष्टेन्द्र सोलंकी, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख्य पत्र, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संग, कन्या भूषण हत्या— मानव जाति पर प्रहार (राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में) 57

अकं 3-4, 2013, अप्रैल— मई पृ 22।

पुष्टेन्द्र सोलंकी, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख्य पत्र, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संग, कन्या भूषण हत्या— मानव जाति पर प्रहार (राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में) 57

अकं 3-4, 2013, अप्रैल— मई पृ 22।

पुष्टेन्द्र सोलंकी, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख्य पत्र, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संग, कन्या भूषण हत्या— मानव जाति पर प्रहार (राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में) 57

अकं 3-4, 2013, अप्रैल— मई पृ 23।

पुष्टेन्द्र सोलंकी, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख्य पत्र, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संग, कन्या भूषण हत्या— मानव जाति पर प्रहार (राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में) 57

अकं 3-4, 2013, अप्रैल— मई पृ 23।

पुष्टेन्द्र सोलंकी, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख्य पत्र, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संग, कन्या भूषण हत्या— मानव जाति पर प्रहार (राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में) 57

अकं 3-4, 2013, अप्रैल— मई पृ 25।

पुष्टेन्द्र सोलंकी, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख्य पत्र, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संग, कन्या भूषण हत्या— मानव जाति पर प्रहार (राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में) 57

अकं 3-4, 2013, अप्रैल— मई पृ 25।

पुष्टेन्द्र सोलंकी, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख्य पत्र, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संग, कन्या भूषण हत्या— मानव जाति पर प्रहार (राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में) 57

अकं 3-4, 2013, अप्रैल— मई पृ 26। अकं 3-4, 2013, अप्रैल— मई।

[aaaccessofjustice.blogspot.in/2013/08/blog-post-692.html.](http://aaaccessofjustice.blogspot.in/2013/08/blog-post-692.html)

[aaaccessofjustice.blogspot.in/2013/08/blog-post- 692.html.](http://aaaccessofjustice.blogspot.in/2013/08/blog-post- 692.html)

गिरता लिंगानुपात – महिला अस्तित्व पर खतरा (बागपत ज़िले के विशेष संदर्भ में)

योग्यता शाक्य*, विनय कुमार शुक्ल**

पुष्टेन्द्र सोलंकी, प्रौढशिक्षा, प्रौढ, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख्य पत्र, भारतीय प्रौढ शिक्षा संग, कन्या भूष हत्या— मानव जाति पर प्रहार (राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में) 57
अक्ट 3–4, 2013, अप्रैल— मई पृ 27 |